

## पटना विश्वविद्यालय, पटना

### कार्यालय अधिसूचना

नवीन शिक्षण सत्र के प्रारम्भ होते ही कई महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर विभागों से छात्रों द्वारा सूचित किया जाता रहा है कि पुराने छात्रों द्वारा उनके रैगिंग अर्थात् अभद्र अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एस0 एल0 पी0 (सिविल) संख्या 22295/2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार यह दण्डनीय अपराध है। अतः रैगिंग करने वाले छात्रों के विरुद्ध निकटतम् थाना में प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज करें, साथ-साथ उन छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी करें। इसकी सूचना कुलानुशासक कार्यालय को भी दें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके तथा सारी सूचनायें अपने वेबसाइट पर दर्शायें। इसी के साथ आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक छात्र/छात्रा से नामांकन के समय ऐंटी रैगिंग शपथ पत्र (Anti-Ragging Affidavit) जमा लिया जाए।

कुलपति के आदेशानुसार,

(डा० जी० के० पलइ)

कुलानुशासक,

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक: 19/06/2018

ज्ञाप संख्या: Proctor/4126/18

प्रतिलिपि: 1. सभी संकायाध्यक्ष, (मानविकी, समाज विज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान एवं लॉ ) संकाय कार्यालय, प0 वि0 वि0 2. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प0 वि0 वि0 3. सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, प0 वि0 वि0 4. सभी संस्थानों के निदेशक, प0 वि0 वि0 5. संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण, प0 वि0 वि0 5. सभी छात्रावासों के वार्डन/अधीक्षक/अधीक्षिका छात्रावास, प0 वि0 वि0 6. कुलपति के निजी सहायक, प0 वि0 वि0 7. प्रति कुलपति के निजी सहायक, प0 वि0 वि0 8. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा० जी० के० पलइ)

कुलानुशासक,

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

19/06/2018